

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5373/6/
ग्रा.वि.-7(आं0)-03/2023

पटना, दिनांक 24/03/2026

प्रेषक,

मन्जु प्रसाद,
अपर सचिव ।

सेवा में,

अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत सरकार से प्राप्त राशि 1012.415 लाख रुपये में से 9,47,84,111.00 (नौ करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार एक सौ ग्यारह) आवंटन के संबंध में ।

प्रसंग:- स्वीकृत्यादेश सं0- 5372346 दिनांक- 24.03.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के संचालन के लिए विभागीय स्वीकृत्यादेश सं0- 5372346 दिनांक- 24.03.2026 द्वारा कुल 9,47,84,111.00 (नौ करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार एक सौ ग्यारह) रुपये का व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई है ।

2. उपर्युक्त स्वीकृति के आलोक में सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के संचालन हेतु कुल 9,47,84,111.00 (नौ करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार एक सौ ग्यारह) रुपये आवंटित की जाती है ।

3. आवंटित राशि निम्नलिखित शीर्ष के अन्तर्गत विकलनीय होगा :-

(राशि रुपये में)

क्र0सं0		मद	बजट शीर्ष	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	केन्द्रांश	प्रशासनिक	मुख्य शीर्ष-2505-ग्राम रोजगार उप मुख्य शीर्ष 02- ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, लघु शीर्ष 101-राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, उप शीर्ष 0202- सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी (बिहार), मांग संख्या-42, विपत्र कोड-42-2505021010202	31 04 सहायक अनुदान वेतन आदि	7,88,06,297.00
				31 06 सहायक अनुदान गैर वेतन आदि	1,59,77,814.00
कुल					9,47,84,111.00

4. आवंटित राशि की निकासी अवर सचिव -सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जाएगी। आवंटित राशि 9,47,84,111.00 (नौ करोड़ सैंतालीस लाख चौरासी हजार एक सौ ग्यारह) रूपये निम्नवत अंकित सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के लिए संधारित SNA खाता में विमुक्त किया जायेगा:-

Name of the Account Holder	Name of the Bank & Branch	Bank IFSC Code No.	Account No.
Social Audit Society	State Bank of India, R Block, Patna	SBIN0031501	36917299468


इस बैंक खाते का संचालन सामाजिक अंकेक्षण सोसायटी के निदेशक द्वारा किया जाएगा।

5. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 वि.(2) दिनांक 17.04.1998 में निर्धारित मापदंडों में निहित प्रावधान के अधीन उक्त राशि की निकासी होगी। इसके आलोक में आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी कर व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 वि.(2) दिनांक 05.10.07 में निहित अनुदेशों के आलोक में स्वीकृत राशि को कोषागार से निकासी के लिए महालेखाकार से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।


7. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना तथा वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना को दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(मन्जु प्रसाद)
अपर सचिव


जापांक 5573/61 पटना, दिनांक: 24/03/2026
ग्रा.वि.-7(SAS)-03/2023

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, बीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


जापांक 5573/61 पटना, दिनांक: 24/03/2026
ग्रा.वि.-7(SAS)-03/2023

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना / लेखा शाखा, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना (दो प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर सचिव


ज्ञापांक 5373/61 पटना, दिनांक: 24/03/2026
ग्रा.वि.-7(SAS)-03/2023

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना / योजना एवं विकास विभाग, / मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी, बिहार पटना / प्रशाखा पदाधिकारी-10 (बजट शाखा) / आई0 टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


अपर सचिव

ज्ञापांक 5373/61 पटना, दिनांक: 24/03/2026
ग्रा.वि.-7(SAS)-03/2023

प्रतिलिपि:- संयुक्त सचिव, (मनरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


अपर सचिव